झारखण्ड विधान सभा

———

झारखंड विधान मंडल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथा पारित)

2008

झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथा पारित)

विषय–सूची ।

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम--16, 2002 की धारा–2 का संशोधन।
3. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 की धारा–5 का संशोधन।
4. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–09, 2005 की धारा–5 का संशोधन।
5. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 की धारा–4(i) का संशोधन।
6. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–09, 2006 की धारा–7 का संशोधन।
7. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–अक्टूबर, 2006 की धारा–2 का संशोधन।
8. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(ii) का संशोधन।

झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथा पारित)

झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001, (झारखण्ड अधिनियम–16, 2002 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 59वाँ वर्ष में झारखंड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

   (i). यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

   (ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii). यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 की धारा–2 में संशोधन – झारखण्ड अधिनियम–03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 की धारा–2 में प्रयुक्त शब्द सदस्य के बाद प्रयुक्त अंक एवं शब्द 4000/–(चार हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 8000/–(आठ हजार) रूपये" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम–16, 2002 की धारा–5 में संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को सत्कार भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में 4000/–रू0 (चार हजार) के स्थान पर 5000/–(पांच हजार) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम–9, 2005 की धारा–5 का संशोधन– निजी सहायक का प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम अंक एवं शब्द में 5500/–रू0 (पांच हजार पांच सौ) के स्थान पर 10,000/–(दस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम–16, 2002 की धारा–4 का संशोधन–

(i) झारखण्ड विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को 3,00,000/–(तीन लाख रुपये) के समतुल्य राशि का कुपन देय होगा जिससे रेल, हवाई यात्रा, डीजल/पेट्रोल का समायोजन किया जायेगा।

6. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम–9, 2001 की धारा–7 का संशोधन– उक्त अधिनियम की धारा–7 में अंकित अंक एवं शब्द 75,000/– (पचहत्तर हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 1,00,000/–(एक लाख) रुपये प्रतिस्थापित होगा।

7. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम–अक्टूबर, 2006 की धारा–02 का संशोधन – उक्त अधिनियम की धारा में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा–

(i) भूतपूर्व विधायकों को पेंशन सुविधा अंतर्गत "5000/– (पांच हजार) रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन एवं प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 500/–(पांच सौ) रुपये अतिरिक्त पेंशन के स्थान पर 900/–(नौ सौ) रुपये मात्र प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन वृद्धि जोड़कर पेंशन निर्धारित किया जायेगा, जो अधिकतम 20,000/–(बीस हजार) रु0 के स्थान पर 30,000/–(तीस हजार) रु0 प्रति माह होगा।"

(ii) उक्त अधिनियम की धारा–17(vi) के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा–

"प्रत्येक सदस्य को जो उपधारा–(i) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, को 2,00,000/–(दो लाख) रुपये के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा जिसमें रेल, हवाई यात्रा, डीजल/पेट्रोल का समायोजन किया जा सकेगा। इसकी प्रतिपूर्त्ति विधान सभा से की जायेगी।"

8. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(ii)(क) में निजी कार से यात्रा की दशा में प्रति कि0मी0 अंक एवं शब्द 5/–(पांच) रूपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 10/–(दस) रुपये प्रति कि0मी0 देय होगा।